न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00118

1. कलावती बाई पुत्री मांगीलाल ।
2. कान्ती बाई पुत्री मांगीलाल ।
3. द्वारका बाइ पुत्री मांगीलाल ।
4. संतोष बाई पुत्री मांगीलाल ।
5. तारा बाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी गढेपान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कान्ही बेवा घनश्याम जाति मीणा ।
2. लक्की पुत्र महेन्द्र जाति मीणा ।
3. रिंकू पुत्र घनश्याम जाति मीणा ।
4. प्रिय पुत्री घनश्याम जाति मीणा नाबालिगान जरिये कान्ही बेवा घनश्याम निवासीगण गढेपान ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गढेपान तहसील दीगोद में कुल 03 किता की 2.41 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि मांगीलाल आत्मज बाला जी जाति मीणा के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है । उक्त आराजी

पुश्तैनी आराजी है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता, ससुर, दादा, नाना मांगीलाल के कब्जे काश्त व खाते में दर्ज चली आ रही थी । मांगीलाल जी के वारिसान प्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 व मृतक घनश्याम के वारिसान अप्रार्थी क्रम 1 से 4 होने से उनका उक्त भूमि में 1/6 – 1/6 हिस्सा कानूनून बनता है । अप्रार्थीगण ने मिली भगत करते हुए मांगीलाल जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी में घनश्याम व अणदी बाई का नाम दर्ज करवा लिया जो गलत है । प्रार्थीगण मांगीलाल जी की पुत्रियॉ हैं जिनका उक्त आराजी में हक व अधिकार है । मांगीलाल जी की पत्नी अणदी बाई की मृत्यु के बाद उनके हिस्से पर प्रार्थीगण का नाम इंतकाल संख्या 478 से दर्ज किया गया । प्रार्थीगण को अधिकार है कि वे मांगीलाल जी की सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक वारिसान का 1/6 – 1/6 हिस्सा दर्ज करवाकर खातेदार घोषित करावे व इन्द्राज दुरूस्ती करावें । अप्रार्थीगण का नाम गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में होने होने से उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को बेचान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्ष्ज्ञति होगी और अपने साम्पतिक अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित हो जावेगे । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को तथा उसके किसी भू–भाग को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2019 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मांगीलाल जी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि थी । मांगीलाल जी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट के पिता एवं पति घनश्याम एवं आनन्दी बाई बेवा मांगीलाल ने स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया । बाद में आनन्दी बाई का स्वर्गवास होने पर इंतकाल संख्या 478 दिनांक 20.02.2015 से अपीलान्ट का नाम हिस्सा 5/12 पर दर्ज किया गया । इस प्रकार त्रुटिपूर्ण रूप से मांगीलाल जी के स्वर्गवास के बाद अपीलान्टगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से रेस्पोडेन्टगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से उसका अनुचित फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्टगण उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि इंतकाल नम्बर 264 दिनांक 05.06.2007 विवादित है उक्त इंतकाल से किसी प्रकार से हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दिनांक 09.02.2018 को खारिज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में होना मानते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण गरीब, ग्रामीण अशिक्षित महिलाएं हैं '। वकील साहब द्वारा प्रत्येक पेशी पर आने से मना कर रखा था । बाद में कोराना बीमारी होने से बाहर नहीं निकल सके और प्रार्थीगण ने सोचा कि कम होने पर' वकील साहब से तारीख पूछ लेंगे । दिनांक 15.08.2020 को अन्य काम से वकील साहब से प्रार्थिया क्रम 02 घर पर मिली तो वकील साहब ने निर्णय होने की जानकारी दी जिस पर नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 18.08.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया । अपीलान्ट के पिता मांगीलाल आत्मज बालाजी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ग्राम गढेपान तहसील दीगोद में कुल 03 किता की 2.41 हैक्टर स्थित थी । जो मांगीलाल जी की मृत्यु के उपरान्त राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर रेस्पोडेन्ट के पिता एवं पति घनश्याम एवं आनन्दी बाई बेवा मांगीलाल ने स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल संख्या 264 दिनांक 05.06.2007 से दर्ज करवा लिया । बाद में आनन्दी बाई का स्वर्गवास होने पर इंतकाल संख्या 478 दिनांक 20.02.2015 से अपीलान्ट का नाम हिस्सा 5/12 पर दर्ज किया गया । त्रुटिपूर्ण रूप से मांगीलाल जी के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से एवं रेस्पोडेन्टगण के पिता के बाद रेस्पोडेन्टगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का अनुचित फायदा उठा कर रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्टगण के पक्ष में है । इंतकाल से किसी प्रकार का अधिकार रेस्पोडेन्टगण को प्राप्त नहीं होता है । खाते में नाम दर्ज होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है.। मांगी लाल जी की पुत्रियॉ होने के कारण अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से अधिकार है । रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्टगण को मांगीलाल जी की पुत्रियॉ होना स्वीकार किया है । रेस्पोडेन्टगण का आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है । अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार दर्ज होने की अधिकारिनी है । धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2019 को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था । दावा अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है । विलम्ब का समुचित कारण धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में नहीं बताया गया है, विलम्ब क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है । मांगीलाल जी की 40 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है तब से घनश्याम

और उनकी माता वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक दर्ज हैं । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के हैं जिन पर ओल्ड लॉ लागू होता है जिसमें पुत्र के होते हुए पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 बहाल रखा जावे ।

11. अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया कि मांगी लाल जी की मृत्यु पर इंतकाल सन् 2007 में खोला गया है जो त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्टगण का आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 ग्राम गढेपान संलग्न है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 2.41 हैक्टर भूमि मांगीलाल जी के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 110 संलग्न है जिसके अनुसार मांगीलाल वल्द बाला वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक दर्ज हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम गढेपान की कुल 03 किता की 2.38 हैक्टर भूमि घनश्याम पुत्र व आणन्दी बाई बेवा मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 20.02.2015 का नोट अंकित है । फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 275 संलग्न है जिसके अनुसार मांगीलाल जी की मृत्यु हो जाने पर घनश्याम और आणन्दी बाई का नाम दर्ज किया गया है ।

14. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न किया गया है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मांगीलाल जी के खातेदारी में दर्ज थी और मांगीलाल जी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि उनके पुत्र घनश्याम और आणन्दी बाई बेवा के नाम दर्ज की गई और उनकी पुत्रियॉ जो कि अपीलान्ट प्रार्थीगण हैं के नाम दर्ज नहीं किया गया । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होती है । ओल्ड हिन्दू लॉ के अनुसर पुत्र होने की स्थिति में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है । तदनुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट प्रार्थीगण के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । इंतकाल संख्या 478 दिनांक 20.02.2015 को खोला गया है उसमें आणन्दी बाई की मृत्यु हो जाने पर अपीलान्टगण का नाम भी दर्ज किया गया है परन्तु नामान्तरकरण खोला जाना फिसकल कार्यवाही होती है जिससे पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व तय नहीं होते हैं । महत्वपूर्ण विधिक तथ्य जो इस प्रकरण में विचारणीय है तो यह है कि पक्षकारान ओल्ड हिन्दू लॉ से शासित होते हैं जिसके अनुसार पुत्र के होने पर पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । तदनुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट प्रार्थीगण के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय

क्षति उनके पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.1.21

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा